उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-55/2017/1974/37-1-2017-08(113)/97टी0सी0-4

लखनऊः दिनांक 07 सितम्बर, 2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग अधिनियम, 1999 (यथा संशोधित) की धारा-4(1)(झ)(एक) के प्राविधानों के अन्तर्गत एतदद्वारा श्री सूर्यकान्त जालान पुत्र श्री दीनदयाल जालान निवासी बी-27/75डी, रविन्द्रपुरी, वाराणसी को तात्कालिक प्रभाव से उ0प्र0 गो सेवा आयोग का सदस्य नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इनका कार्यकाल एक (01) वर्ष का होगा।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-55/2017/1974(1)/37-1-2017, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- श्री सूर्यकान्त जालान, निवासी बी-27/75डी, रविन्द्रपुरी, वाराणसी।
2- मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
5- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
6- सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
7- निजी सचिव, मा0 पशुधन मंत्री को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, पशुधन मंत्री को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
9- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- निदेशक, रोग नियत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11- सचिव, गोसेवा आयोग, जवाहर भवन, लखनऊ।
12- गोपन अनुभाग, 1/इरला चेक अनुभाग।
13- पशुधन अनुभाग- 2/3
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in